उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्याः /VII-3-20/34-एम0एस0एम0ई0/2016
देहरादूनः दिनॉकः 19 सितम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्याः-999/VII-2/34-एम0एस0एम0ई0/2016 दिनांक 26.05.2016 द्वारा राज्य औद्योगिक आस्थानों में शेड/भूखण्डों के आवंटन/निरस्तीकरण/स्थानान्तरण/किराया आदि के संबंध में प्रख्यापित एकीकृत (Intergrated) प्रकिया में संशोधन हेतु निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांकः-178/उ0नि0 (पांच)-वि0औ0आ0 नीति/नि0प्रो0के0/2020-21 दिनांक 18.05.2020 एवं पत्रांकः-306/उ0नि0(पांच)-वि0औ0आ0 नीति/नि0प्रो0के0/2020-21 दिनांक 30.05.2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में राज्य औद्योगिक आस्थानों में शेड/भूखण्डों के आवंटन/निरस्तीकरण/स्थानान्तरण/किराया आदि के संबंध में प्रख्यापित एकीकृत (Intergrated) प्रकिया के प्रस्तर-10(ड.) तथा प्रस्तर-15(क) एवं (ख) में वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर निम्न व्यवस्था प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

वर्तमान व्यवस्था	प्रतिस्थापित/संशोधित व्यवस्था
प्रस्तर संख्या 10-शेडों/प्लॉटों के विभाजन की प्रकियाः- **10 (ड.)-** किराया देने वाला उद्यमी मासिक किराए का **20 प्रतिशत** राज्य सरकार को बतौर लेवी भुगतान करेगा और लेवी का भुगतान त्रैमासिक रूप से किया जायेगा। महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र लेवी के रूप में प्राप्त धनराशि राजस्व खाते में जमा करेगें।	**प्रस्तर संख्या 10-शेडों/प्लॉटों के विभाजन की प्रकियाः-** **10 (ड.)-** भूखण्ड/शेड किराए पर दिये जाने पर किराया देने वाला उद्यमी मासिक किराए का **10 प्रतिशत** राज्य सरकार को बतौर लेवी भुगतान करेगा और लेवी का भुगतान त्रैमासिक रूप से किया जायेगा। महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र लेवी के रूप में प्राप्त धनराशि राजस्व खाते में जमा करेगें।
प्रस्तर संख्या 15- हस्तान्तरण के लिये मार्गनिर्देशः- **15(क)** यदि मूल आवंटी ने आवंटित भूखण्ड पर चाहारदीवारी (Boundary Wall) के अतिरिक्त कोई अन्य निर्माण नहीं किया है तो उस दशा में उसे, आवंटन की तिथि से दो वर्ष की अवधि के उपरांत, हस्तान्तरण की अनुमति इस शर्त पर प्रदान कर दी जाए कि वह बाजार मूल्य के आधार पर भूखण्ड/शेड के आंकलित मूल्य के 60 प्रतिशत धनराशि का भुगतान हस्तांतरण लेवी के रूप विभाग को करेगा।	**प्रस्तर संख्या 15- हस्तान्तरण के लिये मार्गनिर्देशः-** **15(क)** यदि मूल आवंटी ने आवंटित भूखण्ड पर चाहारदीवारी (Boundary Wall) के अतिरिक्त कोई अन्य निर्माण नहीं किया है तो उस दशा में उसे, आवंटन की तिथि से दो वर्ष की अवधि के उपरांत, हस्तान्तरण की अनुमति इस शर्त पर प्रदान कर दी जाए कि वह विभाग द्वारा निर्धारित दरों के 40 प्रतिशत धनराशि का भुगतान हस्तांतरण लेवी के रूप विभाग को करेगा।
15(ख) यदि मूल आवंटी ने आवंटित भूखण्ड पर औद्योगिक इकाई स्थापित कर ली है जो उत्पादनरत है, उस दशा में उसे शेड/भूखण्ड के हस्तान्तरण की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी जाये कि मूल आवंटी बाजार मूल्य के आधार पर आंकलित भूखण्ड के मूल्य के 40 प्रतिशत धनराशि का भुगतान हस्तांतरण लेवी के रूप में विभाग को करेगा।	**15(ख)** यदि मूल आवंटी ने आवंटित भूखण्ड पर औद्योगिक इकाई स्थापित कर ली है जो उत्पादनरत है, उस दशा में उसे शेड/भूखण्ड के हस्तान्तरण की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी जाये कि मूल आवंटी विभाग द्वारा निर्धारित दरों के 20 प्रतिशत धनराशि का भुगतान हस्तांतरण लेवी के रूप में विभाग को करेगा।

739
30/9/2020

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।

क्रमशः....2

संख्याः 1031 ( )/ VII-3–20/34–एम0एस0एम0ई0/2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. मुख्य निवेश आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. महानिदेशक/आयुक्त, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड।
8. प्रबंध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
9. मण्डलायुक्त, कुँमाऊ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आनन्द स्वरूप)
अपर सचिव।